फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

धनपत वगैरह –बनाम– ईमीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील सं. 96/2024 अंतर्गत धारा– 75 एल.आर. एक्ट
(जीसीएमएस संख्याः 2024/)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। कैवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गगन मोदी जरिये वकालतनामा उपस्थित। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो। अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन करते हुए अवगत कराया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 800/1 तादादी 6.0696 हैक्टेयर के उत्तर दिशा में रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि ख.नं. 1053/791 की सीमाओं को लेकर हुए विवाद बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादगत भूमि बाबत माननीय न्यायालय ने पूर्व में एक प्रकरण में आदेश दिनांक 14.02.2023 पारित करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर को रिमाण्ड किया था। उक्त आदेश दिनांक 14.02.2023 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने आदेश दिनांक 19.07.2024 पारित करते हुए तहसीलदार को वादगत भूमि में नियमानुसार सींवजोड़ काश्तकार को सूचित कर कमेटी का गठन कर मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार पुनः सीमाज्ञान करवाये जाने तथा उसी क्रम में पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के निपटारें का समस्त भार तहसीलदार लूनकरणसर के जिम्मे छोड़कर न्याय करने से पलायन किया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में भूअनि व पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान से ग्राम खोडाला की समस्त कृषि भूमियों के सीमा चिन्ह गड़बड़ा जायेंगे, जिससे समस्त ग्राम वासियों की खातेदारी भूमि प्रभावित होगीं अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2024 निरस्त किया जावे।	

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त बीकानेर

अभिभाषक कैवियटकर्ता ने दौराने बहस उपस्थित होकर कथन किया कि वादगत भूमि से संबंधित प्रकरण को यदि प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है तो रेस्पोडेन्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं स्थगन प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2024 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने विवादित प्रकरण में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी में अपने स्तर से संबंधित कार्यवाही स्वयं न करके तहसीलदार लूनकरणसर को उक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2024 निरस्त करते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट की पूरी पालना करते हुए तहसीलदार लूनकरणसर से सीमाज्ञान की रिपोर्ट मंगवाकर उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

21/8/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर